न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 237 / 2012

1 बालूराम पुत्र खेता (मृतक)
1/1 श्रीमती गुमानी देवी पत्नी स्व. बालुराम
1/2 हीरालाल
1/3 धांकड़मल
1/4 राजवीर
1/5 तिलोक
1/6 रामवतार पुत्रगण स्व. बालूराम
1/7 श्रीमती मलखू
1/8 श्रीमती गंगा
1/9 ममता (मृत नाम हजफ) पुत्रियां स्व. बालूराम समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।
2 भगवाना पुत्र खेता (मृत नाम हजफ)
3 गणेश पुत्र खेता समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।
4 श्रीमती नारायणी बेवा रामेश्वर (मृत नाम हजफ)
5 श्रीमती मनभरी बेवा बिड़दाराम (मृत नाम हजफ)
6 गोपाल पुत्र बिड़दाराम (मृतक)
6/1 माया पत्नी गोपाल
6/2 बबली पुत्री गोपाल आयु 15 साल
6/3 साक्षी पुत्र गोपाल आयु 13 साल
6/4 सरस्वती पुत्री गोपाल आयु 11 साल
6/5 कार्तिका पुत्र गोपाल आयु 07 साल अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता खुद श्रीमती माया
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।
7 छोटू पुत्र हुकमा जाति बलाई निवासी कदमा का बास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

Scanned with OKEN Scanner

1 पोखर (मृतक)
1/1 श्रीमती मीरा आयु 75 साल पत्नी स्व. श्री पोखर
1/2 लक्ष्मणराम पुत्र स्व. श्री पोखर (मृत)
1/2/1 धापू देवी पत्नी लक्ष्मणराम (नाम हजफ दिनांक 19.12.24)
1/2/2 हजारी पुत्र लक्ष्मणराम
1/2/3 मन्जू पुत्री लक्ष्मणराम
1/2/4 मुकेश पुत्र लक्ष्मणराम
1/2/5 संजू पुत्री लक्ष्मणराम
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।
1/3 श्रीमती प्रभाती आयु 53 साल पुत्री स्व. पोखर
1/4 मेघाराम आयु 50 साल पुत्र स्व. पोखर
1/5 श्रवण आयु 48 साल पुत्र स्व. पोखर
1/6 श्रीमती संतोष आयु 47 साल पुत्री स्व. पोखर
1/7 बनवारीलाल आयु 45 साल पुत्र स्व पोखर
1/8 सीताराम आयु 43 साल पुत्र स्व. पोखर
1/9 नरसी आयु 40 साल पुत्र स्व. पोखर
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।
2 प्रभाती पुत्री खेता पत्नी हरदेवा जाति बलाई निवासी ताखरों की ढाणी तहसील व जिला सीकर।
3 रामदेवी पुत्री खेता पत्नी बाबूलाल जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 27 सीकर तहसील व जिला सीकर।
4 इन्द्रा पुत्री खेता पत्नी मांगीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
5 बनारसी पुत्री खेता पत्नी भंवरलाल जाति बलाई निवासी ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
6 दानाराम पुत्र रामेश्वर जाति बलाई निवासी कदमा का बास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
7 सोहनी पुत्री रामेश्वर पत्नी महादुराम जाति बलाई निवासी ग्राम बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
8 मोहनी पुत्री रामेश्वर पत्नी रामदेवाराम जाति बलाई निवासी ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

9 फूलकी पुत्री बिड़दाराम पत्नी श्यानाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बाऊलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।
10 श्रवणी पुत्री बिड़दाराम पत्नी गुरूदयाल जाति चमार निवासी लालास जिला नागौर।
11 सन्तु पुत्री बिड़दाराम पत्नी गुरूदयाल जाति चमार निवासी लालास जिला नागौर।
12 बिल्लु पुत्री बिड़दाराम पत्नी करणजी जाति चमार निवासी लालास जिला नागौर।
13 तहसीलदार सीकर बहैसियत भूमिधारी।
14 सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सीकर जरिये सचिव।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी
दिनांक 03.10.2012 दावा संख्या 287/99
उनवानी पोखर बनाम बालु आदि न्यायालय
सहायक कलेक्टर महोदय सीकर प्रथम

अपील संख्या 238/2012

1 बालूराम पुत्र खेता (मृतक)
1/1 श्रीमती गुमानी देवी पत्नी स्व. बालुराम
1/2 हीरालाल
1/3 धांकड़मल
1/4 राजवीर
1/5 तिलोक
1/6 रामवतार पुत्रगण स्व. बालूराम
1/7 श्रीमती मलखू
1/8 श्रीमती गंगा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

1/9 ममता (मृत नाम हजफ) पुत्रियां स्व. बालूराम समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।
2 भगवाना पुत्र खेता (मृत नाम हजफ)
3 गणेश पुत्र खेता समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।
4 श्रीमती नारायणी बेवा रामेश्वर (मृत नाम हजफ)
5 श्रीमती मनभरी बेवा बिड़दाराम (मृत नाम हजफ)
6 गोपाल पुत्र बिड़दाराम (मृतक)
6/1 माया पत्नी गोपाल
6/2 बबली पुत्री गोपाल आयु 15 साल
6/3 साक्षी पुत्र गोपाल आयु 13 साल
6/4 सरस्वती पुत्री गोपाल आयु 11 साल
6/5 कार्तिका पुत्र गोपाल आयु 07 साल अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता खुद श्रीमती माया
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।
7 छोटू पुत्र हुकमा जाति बलाई निवासी कदमा का बास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 पोखर (मृतक)
1/1 श्रीमती मीरा आयु 75 साल पत्नी स्व. श्री पोखर
1/2 लक्ष्मणराम पुत्र स्व. श्री पोखर (मृत)
1/2/1 धापू देवी पत्नी लक्ष्मणराम (नाम हजफ दिनांक 19.12.24)
1/2/2 हजारी पुत्र लक्ष्मणराम
1/2/3 मन्जू पुत्री लक्ष्मणराम
1/2/4 मुकेश पुत्र लक्ष्मणराम
1/2/5 संजू पुत्री लक्ष्मणराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।

1/3 श्रीमती प्रभाती आयु 53 साल पुत्री स्व. पोखर
1/4 मेघाराम आयु 50 साल पुत्र स्व. पोखर
1/5 श्रवण आयु 48 साल पुत्र स्व. पोखर
1/6 श्रीमती संतोष आयु 47 साल पुत्री स्व. पोखर
1/7 बनवारीलाल आयु 45 साल पुत्र स्व पोखर
1/8 सीताराम आयु 43 साल पुत्र स्व. पोखर
1/9 नरसी आयु 40 साल पुत्र स्व. पोखर
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर।

2 प्रभाती पुत्री खेता पत्नी हरदेवा जाति बलाई निवासी ताखरों की ढाणी तहसील व जिला सीकर।

3 रामदेवी पुत्री खेता पत्नी बाबूलाल जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर 27 सीकर तहसील व जिला सीकर।

4 इन्द्रा पुत्री खेता पत्नी मांगीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

5 बनारसी पुत्री खेता पत्नी भंवरलाल जाति बलाई निवासी ग्राम दूजोद तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

6 दानाराम पुत्र रामेश्वर जाति बलाई निवासी कदमा का बास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

7 सोहनी पुत्री रामेश्वर पत्नी महादुराम जाति बलाई निवासी ग्राम बल्लुपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

8 मोहनी पुत्री रामेश्वर पत्नी रामदेवाराम जाति बलाई निवासी ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

9 फूलकी पुत्री बिड़दाराम पत्नी श्यानाराम जाति बलाई निवासी ग्राम बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

10 श्रवणी पुत्री बिड़दाराम पत्नी गुरूदयाल जाति चमार निवासी लालास जिला नागौर।

11 सन्तु पुत्री बिड़दाराम पत्नी गुरूदयाल जाति चमार निवासी लालास जिला नागौर।

12 बिल्लु पुत्री बिडदाराम पत्नी करणजी जाति चमार निवासी लालास जिला नागौर।

अधिकारी एवं

13 तहसीलदार सीकर बहैसियत भूमिधारी।
14 सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सीकर जरिये सचिव।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.10.2012
दावा संख्या 287/99 उनवानी पोखर बनाम बालु आदि
न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय सीकर प्रथम

उपस्थिति :
1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 287/1999 में पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने अ. धारा 53, 188 का वाद प्रस्तुत कर ग्राम कदमा का बास तहसील सीकर की भूमि खसरा नम्बर 244, 247, 248, 250, 251, 264, 265 के संदर्भ में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री जारी की है एवं प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज किया है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण की ओर यह पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम कदमा का बास तहसील व जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 244 रकबा 2.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 248 रकबा 2.40 है., खसरा नम्बर 250 रकबा 0.02 है., खसरा नम्बर 251 रकबा 2.51 है., खसरा नम्बर 264 रकबा 2.52 है., खसरा नम्बर 265 रकबा 0.02 है. किता 7 कुल रकबा 9.32 है. पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पोखर का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है तथा कब्जे के अभाव में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वाद प्रस्तुत किया तथा कब्जा प्राप्ति की कोई सहायता भी नहीं चाही, फिर भी विचारण न्यायालय ने मनमाने निष्कर्ष निकाल कर खण्डनाधीन आज्ञा पारित की है जो निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट पोखर ने अपने बयान में स्पष्ट कथन किया है कि दावा वादास्पद भूमियों का कब्जा लेने हेतु किया है तथा गत 40 साल से मेरा कब्जा नहीं रहा है तनकी संख्या 4 के निर्णय में विचारण न्यायालय ने माना है कि अपीलान्टस वादस्पद कृषि भूमियों को 40 साल से वो रहे है तथा रेस्पोडेन्ट वादी पोखर का कब्जा नहीं है तथा तनकी संख्या 4 आंशिक रूप से अपीलान्ट के पक्ष में केवल कब्जे की हक तक सिद्ध पाते है किन्तु फिर भी खण्डनाधीन निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने अपने काउन्टर वाद के समर्थन में गवाह बालू, भूदा व हरबक्साराम को प्रस्तुत किया है। हरबक्सा डीडब्ल्यू 3 ने अपनी साक्ष्य से स्पष्ट किया है कि पोखर मल वादी को जमीन न तो मैंने विकय की न ही पैसे का कोई लेन देन हुआ जमीन हुकमाराम पोखर के पिता की थी जो हमारे खाते में चढ़ गई क्योंकि हमारा व हुकमाराम का परिवार एक ही था हुकमाराम ने बंटवारे में जमीन पोखर रेस्पोडेन्ट को दे दी मेरे नाम करवा दी, पोखर ही वादग्रस्त जमीन को काश्त करता था तथा इसी प्रकार विचारण न्यायालय गवाह बालु व भूदा व हरबक्साराम के बयानों से क्यों संतुष्ट नहीं है। इसका निर्णय में कोई अंकन नहीं है। रेस्पोडेन्ट पोखर का वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का थात था मौके पर उसका वादास्पद कृषि भूमियों पर कोई कब्जा काश्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का कब्जा न होते हुए भी बंटवारा के प्रस्ताव की बावत आज्ञा पारित करने में कानूनी भुल की है। अपीलान्ट व रेस्पोडेनट संख्या 1 के मध्य आज से करीबन 65 साल पूर्व कृषि भूमियों व समस्त चल व अचल सम्पत्तियों का बंटवारा हो गया था बंटवारा के अनुसार रेस्पोडेन्ट पोखर के हिस्से में कदमा का बास में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 249 रकबा 0.97 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 273 रकबा 1.30 है. भूमि हिस्से में पॉती में आई यह भूमियां खसरा नम्बर 95 व 89 (पुराना) का ही हिस्सा है। इन भूमियों पर अपीलान्टस बुजुर्गा के समय से काबिज चले आ रहे है लेकिन 65 साल पूर्व बंटवारा होने पर यह भूमि रेस्पोडेन्ट पोखर के हिस्से पॉति व बंटवारे में आ गई तथा कृषि भूमियां खसरा नम्बर 244, 247, 248, 250, 241, 264, 265 से रेस्पोडेन्ट पोखर का कोई संबंध सरोकार व कब्जा काश्त नहीं रहा है। अपीलान्ट वादास्पद कृषि भूमियों पर पिछले 65 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर व निर्बाध रूप से काबिज काश्तकार है, इसलिए एडवर्स पजेसन के आधार पर बाई ऑपरेशन आफ ला अपीलान्टस को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है इसलिए भी विचारण न्यायालय का निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। रेस्पोडेन्ट पोखर को जो भूमियां खसरा नम्बर 249, 273 जिनके पुराने खसरा नम्बर 95 व 89 ग्राम कदमा का बास है, हिस्से पॉति में दी गई इन्हीं भूमियों पर उसका कुआ व ट्यूबवेल है तथा पुरानी रिहायसी ढाणी बनी हुई है तथा यह दोनों भूमियां अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट पोखर की पैतृक भूमियां है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 दानाराम उपलब्ध न होने के कारण तरतीक रूप से रेस्पोडेन्ट बनाये गये है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1, 2, 3 का निर्णय भी मनमाने तरीके से पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादी वादग्रस्त आराजियात का 1/5 हिस्से का खातेदार है एवं उक्त भूमियां उसकी पैतृक भूमियां है एवं उसका इस भूमि पर कब्जा नहीं है परन्तु स्थापित विधि है कि पैतृक भूमियों में प्रत्येक सहखातेदार का हर इंच पर कब्जा माना जाता है एवं सह खातेदारों में एडवर्स पजेसन को लागू नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा यह आधार लेना की वादी का कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

कब्जा काश्त नहीं है अतः बिना कब्जे के वादी अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। विधि अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी को बाह्मी विभाजन में ग्राम कदमा का बास की अन्य भूमियां दी गई थी लिहाजा उसका इन भूमियों में कोई हक नहीं है यहां पर महत्वपूर्ण है कि वादी द्वारा रजिस्टर्ड विलेख प्रस्तुत किये गये है कि उसके द्वारा अन्य भूमियां कय की गई है एवं जिसके कारण उसके नाम से आई है। प्रतिवादीगण ऐसा ठोस प्रलेख प्रस्तुत नहीं कर पाये है कि उक्त भूमियां वादी को बंटवारे में दी गई है। जिरह में आया है कि लाला एवं हरबक्सा भी वादी के पिता हुकमा के भाई बन्धु में ही है परन्तु वादी ने जो रजिस्टर्ड विलेख प्रस्तुत किये है उसे नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि एक परिवार में होने से मात्र यह सिद्ध नहीं है कि उक्त भूमि कय नहीं की जा सकती। वादी चूंकि सहखातेदार है इसलिए उसका प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जायेगा। सहखातेदारों के मध्य प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा नहीं ली जा सकता है एवं वादी रिकार्डेड खातेदार होने के कारण बंटवारे अनुतोष पाने का हक रखता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने अ. धारा 53, 188 का वाद प्रस्तुत कर ग्राम कदमा का बास तहसील सीकर की भूमि खसरा नम्बर 244, 247, 248, 250, 251, 264, 265 के संदर्भ में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है एवं प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम खारिज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के अनुसार वादी वादग्रस्त आराजियात का 1/5 हिस्से का खातेदार है एवं उक्त भूमियां उसकी पैतृक भूमियां है एवं उसका इस भूमि पर कब्जा नहीं है परन्तु स्थापित विधि है कि पैतृक

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Scanned with OKEN Scanner

भूमियों में प्रत्येक सहखातेदार का हर इंच पर कब्जा माना जाता है एवं सह खातेदारों में एडवर्स पजेसन को लागू नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा यह आधार लेना की वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है अतः बिना कब्जे के वादी अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। विधि अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रतिवादीगण का कथन है कि वादी को बाह्मी विभाजन में ग्राम कदमा का बास की अन्य भूमियां दी गई थी लिहाजा उसका इन भूमियों में कोई हक नहीं है यहां पर महत्वपूर्ण है कि वादी द्वारा रजिस्टर्ड विलेख प्रस्तुत किये गये है कि उसके द्वारा अन्य भूमियां क्रय की गई है एवं जिसके कारण उसके नाम से आई है। प्रतिवादीगण ऐसा ठोस प्रलेख प्रस्तुत नहीं कर पाये है कि उक्त भूमियां वादी को बंटवारे में दी गई है। जिरह में आया है कि लाला एवं हरबक्सा भी वादी के पिता हुकमा के भाई बन्धु में ही है परन्तु वादी ने जो रजिस्टर्ड विलेख प्रस्तुत किये है उसे नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि एक परिवार में होने से मात्र यह सिद्ध नहीं है कि उक्त भूमि क्रय नहीं की जा सकती। वादी चूंकि सहखातेदार है इसलिए उसका प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जायेगा।

सहखातेदारों के मध्य प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा नहीं ली जा सकता है एवं वादी रिकार्डेड खातेदार होने के कारण बंटवारे अनुतोष पाने का हक रखता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती हे।

निर्णय आज दिनांक 24/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अखिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर